पत्रांक : केन्द्रीय (मा०)—357/23—क्रे0-1667

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 08/10/2024

विषयः माह अक्टूबर, 2024 में कक्षा 09वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंगः शिक्षा विभाग की अधिसूचना सं0 09/विविध—62/2023—889, पटना, दिनांक 05.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय अधिसूचना के अनुसार राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 09वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मासिक/सावधिक परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्णय संसूचित है। मासिक/सावधिक परीक्षा विद्यालय के स्तर पर संचालित होगी। कक्षा 09वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए माह अक्टूबर, 2024 की मासिक परीक्षा दिनांक 21.10.2024 से 23.10.2024 तक आयोजित होगी। परीक्षा का कार्यक्रम निम्नवत् हैः—

Programme
Secondary Monthly Examination (Theory), 2024
Month - October (For Class IX & X)

परीक्षा की तिथि/दिन	प्रथम पाली (First Shift)	द्वितीय पाली (Second Shift)
21.10.2024 (सोमवार)	मातृभाषा (101-हिन्दी, 102-बंगला, 103-उर्दू एवं 104-मैथिली) (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक)	द्वितीय भारतीय भाषा (105-संस्कृत, 106-हिन्दी 107-अरबी, 108-फारसी, एवं 109-भोजपुरी) (अपराह्न 12:45 बजे से अपराह्न 02:15 बजे तक)
22.10.2024 (मंगलवार)	112—विज्ञान (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक) 125—संगीत (केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए) (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक)	111—सामाजिक विज्ञान (अपराह्न 12:45 बजे से अपराह्न 02:15 बजे तक)
23.10.2024 (बुधवार)	110-गणित (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक) 126—गृह विज्ञान (केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए) (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक)	113-अंग्रेजी (सामान्य) (अपराह्न 12:45 बजे से अपराह्न 02:15 बजे तक)

2. (i) मासिक परीक्षा, अक्टूबर, 2024 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक विषयों की परीक्षा आयोजन हेतु गोपनीय एजेंसी द्वारा दिनांक **13.10.2024 से 16.10.2024** तक की अवधि में गोपनीय प्रश्न—पत्र आपके कार्यालय में प्राप्त कराया जाना संभावित है। इसलिए यह आवश्यक है कि गोपनीय मुद्रक के प्रतिनिधि द्वारा आपूरित प्रश्न—पत्र प्राप्त कर एजेंसी प्रतिनिधि को प्राप्ति रसीद दे दिया जाए तथा प्रश्न—पत्र को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखवा लिया जाए।